भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 85
उत्तर देने की तिथि : 18.11.2019

उच्च शिक्षा

85. श्री ए॰ राजा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) देश में पिछड़े वर्गों सहित विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की उच्चतर शिक्षा हेतु नामांकित बालिकाओं की संख्या का तमिलनाडू सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

ख) क्या उक्त नामांकन में विगत कुछ वर्षों में कोई वृद्धि हुई है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

घ) सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों सहित ग्रामीण क्षेत्रों को अधिकतम रूप से शामिल करने और उन्हें उच्चतर शिक्षा हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/ कार्रवाई की जा रही है;

ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में पिछड़े वर्गों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

च) क्या प्रत्येक वर्ष उनके लिए आरक्षित सभी सीटें भर जाती हैं या खाली रह जाती हैं तथा यदि हां, तो तमिलनाडू सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा खाली सीटों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (च): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि उच्च शिक्षा में 2016-17 से 2018-19 के दौरान लड़कियों के नामांकन में बढोतरी हुई है।

सरकार ने उच्चतर शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में सुधार लाने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करने, महिला अध्ययन केंद्रों की स्थापना, एकल बालिका छात्रवृति का कार्यान्वयन, महिला शौचालयों का निर्माण/नवीनीकरण और सामान्य विकास सहायता योजना के तहत "महिला सशक्तीकरण से संबंधित गतिविधियों" जैसे कार्यक्रम के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के लाभ के लिए अनुदान प्रदान करने जैसे कई कदम उठाए हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) भी एआईसीटीई अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं में डिप्लोमा/अवर स्नातक स्तरीय कार्यक्रम हेतु

बालिकाओं के लिए प्रगति छात्रवृत्ति का कार्यान्वयन कर रहा है। प्रतिवर्ष 4000 छात्रवृत्तियां (डिग्री हेतु 2000 और डिप्लोमा हेतु 2000) प्रदान की जाती हैं। विगत वित्तीय वर्ष के दौरान उन परिवारों को जिनकी वार्षिक आय प्रतिवर्ष 8 लाख रू. से कम है, उन परिवारों की दो बालिकाएं योजना के तहत पात्र हैं।

प्रगति छात्रवृत्ति के लाभार्थियों का वर्ष वार विवरण https://www.aicte-india.org/schemes/students-development-schemes पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, यूजीसी सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के साथ-साथ शिक्षण और गैर शिक्षण पदों में एससी/एसटी/ओबीसी, ईडब्लयूएस और दिव्यांगजनों से संबंध में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन करने हेतु सभी विश्वविद्यालयों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता है। बालिकाओं के लिए अलग से किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तथापि, सरकार उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन में वृद्धि की इच्छुक है। तदनुसार, आईआईटी में महिला नामांकन 2017-18 के 8% से बढ़ाकर 2020-21 तक 20% करने के लिए अधिसंख्यक सीटें सृजित करने के लिए प्रावधान किया गया है। सरकार को यह सूचित करते हुए प्रसंन्नता हो रही है कि वर्ष 2018-19 के दौरान पुरूषों के जीईआर के तुलना में पहली बार महिलाओं के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में वृद्धि हुई है। अभी 2018-19 का महिला-पुरूष समानता सूचकांक 1.00 है।

2016-17 से 2018-19 के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के बालिका नामांकन का राज्य-वार विवरण संलग्नक पर दिया गया है।

****

'उच्चतर शिक्षा' के संबंध में माननीय संसद सदस्य ए.राजा द्वारा दिनांक 18.11.2019 को

अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के नामांकन का अनुमानित राज्य-वार विवरण

पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 85 के उत्तर के भाग (क) से (च) में उल्लिखित संलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1081	1310	1684
2.	आंध्र प्रदेश	305677	302093	334446
3	अरुणाचल प्रदेश	483	648	692
4	असम	92550	88615	98892
5	बिहार	285655	278682	295551
6	चंडीगढ़	2093	1928	2050
7	छत्तीसगढ़	100345	120898	129965
8	दादरा और नगर हवेली	313	325	298
9	दमन और दीव	336	401	539
10	दिल्ली	52428	55337	64796
11	गोवा	4354	4743	5398
12	गुजरात	159824	176635	185616
13	हरियाणा	101467	99574	108534
14	हिमाचल प्रदेश	20515	21333	22758
15	जम्मू और कश्मीर	8760	10913	11736
16	झारखंड	117711	124427	142185
17	कर्नाटक	442928	474798	505308
18	केरल	213481	263978	274967
19	लक्षद्वीप	54	-	-
20	मध्य प्रदेश	300465	336461	366091
21	महाराष्ट्र	529471	545036	565904
22	मणिपुर	17546	19740	19638
23	मेघालय	790	1337	1421
24	मिजोरम	139	146	181
25	नगालैंड	307	201	377
26	ओडिशा	98840	95617	99396
27	पुडुचेरी	20621	22816	25478
28	पंजाब	44898	49200	57855
29	राजस्थान	335298	365738	427045
30	सिक्किम	2998	3653	3767
31	तमिलनाडु	968220	1047790	1065035
32	तेलंगाना	298693	292255	325599
33	त्रिपुरा	6203	6190	6228
34	उत्तर प्रदेश	1101681	1158172	1343327
35	उत्तराखंड	27679	34375	37465
36	पश्चिम बंगाल	114980	138892	152598
अखिल भारतीय		**5778884**	**6144337**	**6682820**

स्रोत : अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट (2016-17 से 2018-19)-तालिका 14